

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 219 / 2003/सी/चार

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2001

प्रति,

समस्त कलेक्टर
समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय:- दिनांक 31 मार्च, 2001 तक पदों को निरंतर करने के संबंध में।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के फलस्वरूप विभिन्न विभागों में पद निरंतरता के अभाव में कर्मचारियों का वेतन आहरण हो सके, इस दृष्टि से अस्थायी पदों को दिनांक 1.11.2000 तक निरंतर मान्य करने के संबंध में वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2027 छत्तीसगढ़ सेल 2000 सीचार दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 जारी किया गया था।

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्थायी पदों के निरंतरता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः उक्त विभाग के अस्थायी पदों को दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निरंतर मान्य करते हुए ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन एवं भत्ते आहरित किए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अशोक दास)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 220/2001/सी/चार

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2001

प्रतिलिपि : -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)(आडिट)-12 मध्यप्रदेश, ग्वालियरभोपाल।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.पी. सिंह निरंजन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग